



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-701

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 321370 दिनांक 27/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Girdhari Lal Meena S/o Gopal Lal Meena	चन्दा देवी पत्नी नाथूलाल एवं नंदिता मीणा पत्नी ईश्वर लाल मीणा	9/AI/2C	150.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block- A	Name Transfer	जविप्रा की योजना रिंग रोड के भूखण्ड संख्या 9/एआई/2सी क्षेत्रफल 150.00 व.मी. का नाम हस्तांतरण/उपविभा जन क्रमांक डी-3942 दिनांक 11.07.2022 को चन्दा देवी पत्नी नाथूलाल एवं नंदिता मीणा पत्नी ईश्वर लाल मीणा के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2023 को चन्दा देवी पत्नी नाथूलाल एवं नंदिता मीणा पत्नी ईश्वर लाल मीणा द्वारा किशन मीना पुत्र गोविन्द को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

भूखण्ड का बेचान
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
10.01.2025 को
किशन मीना पुत्र
गोविन्द राम
द्वारा गिरधारी
लाल मीणा पुत्र
गोपाल लाल मीणा
को कर दिया
गया। आवेदक
द्वारा नाम
हस्तांतरण हेतु
आवेदन किया
गया है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ
पश्चात् राशि
गणना हेतु
भिजवाये जाने हेतु
प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Girdhari Lal Meena S/o Gopal Lal Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पश्चात समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।